



2026:AHC:55488

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 1617/2026

जैनेंद्र कुमार

..... प्रार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य

.... विपक्षी(गण)

प्रार्थी(गण) के अधिवक्ता : आज़ाद सिंह, शाद खान

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 51

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार-X

1. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री आचार्य राजेश त्रिपाठी को सुना गया।
2. कार्यालयीय आख्या के अनुसार, प्रतिवादी संख्या-5 पर नोटिस व्यक्तिगत रूप से तामील हो चुका है, हालाँकि प्रतिवादी संख्या-2, 3 एवं 4 पर नोटिस की तामील नहीं हो सकी है।
3. प्रस्तुत आपराधिक अपील, धारा 14-ए (1) एस.सी./एस.टी. अधिनियम के अंतर्गत, अपीलकर्ता द्वारा इस प्रार्थना के साथ योजित की गई है कि दिनांक 17.10.2025 को विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. अधिनियम), प्रयागराज द्वारा विविध आवेदन संख्या 1047/2025 (जैनेंद्र कुमार बनाम मधुप अग्रवाल एवं अन्य), धारा 173(4) बी.एन.एस.एस., थाना शिवकुटी, जनपद प्रयागराज में पारित आदेश को निरस्त किया जाए तथा प्राधिकृत अधिकारियों को प्रतिवादी संख्या-2 से 6 के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करने का निर्देश प्रदान किया जाए।
4. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलकर्ता द्वारा धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अवर न्यायालय द्वारा आरोपों पर समुचित विचार किए बिना ही निरस्त कर दिया गया है। यह भी निवेदन किया गया कि अभियुक्तगण ने

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अपीलकर्ता के भूखंड के पीछे स्थित भूमि को विक्रय करने का प्रस्ताव रखा, जिसके फलस्वरूप पक्षकारों के मध्य मौखिक अनुबंध संपन्न हुआ। उक्त अनुबंध के अनुपालन में अपीलकर्ता द्वारा बैंक लेन-देन के माध्यम से लगभग 45 लाख रुपये का भुगतान किया गया। हालाँकि, प्रतिवादियों द्वारा न तो उक्त भूमि का विक्रय विलेख निष्पादित किया गया और न ही अग्रिम धनराशि वापस की गई। यह भी आरोप है कि दिनांक 12.01.2025 को, जब अपीलकर्ता अपने कार्य पर था, तब निजी प्रतिवादियों द्वारा उसके भूखंड की चारदीवारी एवं द्वार को ध्वस्त कर दिया गया। आगे यह भी निवेदन किया गया कि जब-जब अपीलकर्ता ने धनराशि की वापसी हेतु प्रतिवादियों से संपर्क किया, तब उसे जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए अपमानित किया गया। अतः धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत आवेदन निरस्त करने वाला आदेश त्रुटिपूर्ण एवं विधि-विरुद्ध है, जिसे निरस्त किया जाना अपेक्षित है।

5. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने निवेदन किया कि आक्षेपित आदेश पुलिस आख्या के आधार पर पारित किया गया है, जिसे अवर न्यायालय द्वारा आरोपों की जांच हेतु आहूत किया गया था। उक्त रिपोर्ट में यह उल्लेखित है कि पक्षकारों के मध्य एक समझौता हुआ था, जिसके अंतर्गत अपीलकर्ता द्वारा प्रतिवादियों के पक्ष में 52 लाख रुपये का भुगतान किया गया तथा तत्पश्चात प्रतिवादियों द्वारा अपीलकर्ता के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित किया गया। यह भी उल्लेखित है कि विक्रय विलेख के प्रतिफल स्वरूप अपीलकर्ता द्वारा केवल 47 लाख रुपये का भुगतान किया गया तथा शेष 5 लाख रुपये का भुगतान नहीं किया गया। इस प्रकार, अवशिष्ट धनराशि के बावजूद अपीलकर्ता द्वारा स्वयं भूमि पर कब्जा लेने का प्रयास किया गया, जिसके कारण पक्षकारों के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ। अतः आक्षेपित आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं है और अपील निरस्त किए जाने योग्य है।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

7. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि पूर्व में पक्षकारों के मध्य एक अन्य भूमि के संबंध में लेन-देन हुआ था, जिसके अंतर्गत प्रतिवादियों द्वारा अपीलकर्ता के पक्ष



में विक्रय विलेख निष्पादित किया गया था। वर्तमान विवाद किसी अन्य भूमि के संबंध में उत्पन्न हुआ है।

8. अभिलेख से यह परिलक्षित होता है कि अपीलकर्ता ने धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत दायर अपने प्रार्थना पत्र में पूर्ववर्ती लेन-देन एवं समझौतों का उल्लेख नहीं किया है। जहाँ तक वर्तमान विवाद का संबंध है, वह परीक्षण की अपेक्षा करता है। ऐसी स्थिति में, इस न्यायालय का मत है कि अपीलकर्ता के आवेदन को निरस्त करने के स्थान पर अवर न्यायालय को उक्त आवेदन को परिवाद के रूप में परिवर्तित कर, उसमें किए गए आरोपों की सत्यता की जांच करनी चाहिए थी।

9. तदनुसार, यह आपराधिक अपील **स्वीकार** की जाती है। विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. अधिनियम), प्रयागराज द्वारा विविध आवेदन संख्या 1047 वर्ष 2025 (जैनेंद्र कुमार बनाम मधुप अग्रवाल एवं अन्य) में पारित **आक्षेपित आदेश** दिनांक 17.10.2025 निरस्त किया जाता है तथा संबंधित विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त अवलोकनों के आलोक में पुनः विधि अनुसार आदेश पारित करे।

(माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार-X)

18 मार्च, 2026

एस. के.